



सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस



प्रेस नोट- दिनांक 31.03.2026

- जैसलमेर (राजस्थान) से ट्रैक्टर चोरी करने वाले 02 शातिर चोरों को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार।
- अभियुक्तों के कब्जे से चोरी का महिन्द्रा ट्रैक्टर 265 DI XP PLUS बरामद।

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के पर्यवेक्षण में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना/गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण:-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने तथा चोरी की घटनाओं को कारित करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशों के क्रम में थाना वैदपुरा पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति चोरी के ट्रैक्टर के साथ ग्राम बनामई से वैदपुरा की ओर आ रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन वैदपुरा को जाने वाली सड़क पर पहुंची। कुछ समय बाद एक ट्रैक्टर आता दिखाई दिया, जिसे रुकने का इशारा किया तो ट्रैक्टर चालक व पास बैठा व्यक्ति भागने का प्रयास करने लगे जिन्हे पुलिस टीम द्वारा आवश्यक बल प्रयोग कर मौके से ट्रैक्टर सहित पकड लिया गया।

पुलिस पूछताछ:-

गिरफ्तार अभियुक्तगण से बरामद ट्रैक्टर के संबंध में कड़ाई से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि वे जैसलमेर, राजस्थान में एक मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्य में मजदूरी करते थे। वहां हमने अपने भाई के साथ मिलकर जून 2024 में यह ट्रैक्टर चोरी किया था। (बरामद ट्रैक्टर के संबंध में थाना कोतवाली जैसलमेर (राजस्थान) पर मु0अ0सं0 179/2024 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।)

उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के संबंध में थाना वैदपुरा पर मु0अ0सं0 28/2026 धारा 317(2)/317(5) BNS व धारा 35/106 BNSS पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-

1. अंकित प्रताप पुत्र शिव सिंह गौर निवासी ग्राम बनामई, थाना वैदपुरा, जनपद इटावा, उम्र करीब 19 वर्ष।
2. कुलदीप प्रताप पुत्र शिव सिंह गौर निवासी ग्राम बनामई, थाना वैदपुरा, जनपद इटावा, उम्र करीब 25 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 28/2026 धारा 317(2)/317(5) BNS व धारा 35/106 BNSS थाना वैदपुरा, जनपद इटावा।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 179/2024 धारा 379 भादवि थाना कोतवाली जैसलमेर जनपद जैसलमेर राजस्थान।
2. मु0अ0सं0 28/2026 धारा 317(2)/317(5) BNS व धारा 35/106 BNSS थाना वैदपुरा जनपद इटावा।

बरामदगी:-

1. 01 महिन्द्रा ट्रैक्टर 265 DI XP PLUS (चोरी का)।

पुलिस टीम:- थानाध्यक्ष श्री नागेन्द्र सिंह थाना वैदपुरा, उ0नि0 जय सिंह, का0 जोनी कुमार, का0 विपिन कुमार, का0 रजत कुमार।